Assoc. Prof. of Clinical Psychology

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215531
CG-DL-E-18012020-215531

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2020/पौष 26, 1941
No. 33]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2020/PAUSHA 26, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 35(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मानसिक रोग अस्पताल, रांची में मनोविज्ञान के सह आचार्य, मनोविज्ञान के सहायक आचार्य और सहायक आचार्य मन:चिकित्सा (सामाजिक कार्य) भर्ती नियम, 1975 को, जहां तक उनका संबंध सह आचार्य मनोविज्ञान से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में नैदानिक मनोविज्ञान के सह आचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, नैदानिक मनोविज्ञान के सह आचार्य (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्री य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नैदानिक मनोविज्ञान के सह आचार्य	1*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (राजपत्रित), अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए)	चयन ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री (पीएच.डी) रखते हों, नैदानिक मनोविज्ञान के सहायक आचार्य या समतुल्य जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 10 (56100-177500 रु.) के ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान,	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	रांची - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) - सदस्य।	

[फ़ा. सं. ए.12018/06/2019-एमई]
नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2020

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Hospital for Mental Diseases, Ranchi Associate Professor of Psychology, Assistant Professor of Psychology and Assistant Professor Psychiatric (Social Work) Recruitment Rules, 1975, insofar as they relate to the post of Associate Professor of psychology, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of **Associate Professor of Clinical Psychology** in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Associate Professor of Clinical Psychology (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**– No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Associate Professor of Clinical Psychology.	1* (2020) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Professor of Clinical Psychology possessing the Doctorate Degree (Ph. D) in Clinical Psychology from a recognized university or equivalent in level 10 of the pay matrix (Rs. 56100 – 177500/-) with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Deputy Director General, Directorate General of Health Services – Chairman; 2. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi- Member; 3. Director (Medical Education), Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.-12018/06/2019-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA